न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 145/2006 पुनः दर्ज 604/2013
वाद दायरी दिनांक : 30/08/2006 व 08/11/2013
निर्णय दिनांक : 15/02/2021

भंवर लाल पुत्र श्री बन्नालाल जाति ब्राहम्ण उम्र 50 वर्ष निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. गोविन्दनारायण पुत्र बन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. (मृतक) हरिनारायण पुत्र बन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. रामजानकी देवी पत्नि हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. महेश कुमार पुत्र हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. अन्जू शर्मा पत्नि स्व0 मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
6. आदित्य पुत्र स्व0 मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ना0बा0 जरिये वली माता अन्जू देवी।
7. सिमरन पुत्री स्व0 मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जा0बा0 जरिये वली माता अन्जू देवी।
8. सुनिता देवी पुत्री हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
9. (मृतक) श्रवण लाल पुत्र बन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
10. कोशल्या देवी पत्नि श्रवण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
11. विष्णु दयाल पुत्र श्रवण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
12. संजय कुमार पुत्र श्रवण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
13. सरिता पुत्री श्रवण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
14. संगीता पुत्री श्रवण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
15. गोपाल लाल पुत्र बन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

16. बद्री नारायण पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
17. रामेश्वर पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
18. रामस्वरूप पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
19. रामजीलाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
20. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणात्मक खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती</u>

उपस्थिति – **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री छोटुलाल गुर्जर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2

श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर
श्री राहुल कुमावत
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

श्री नारायणसहायपारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 15/02/2021

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत 2049 से 2052 के अनुसार आराजी खाता संख्या 87 की भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा बारानी वाके ग्राम सीतारामपुरा तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है। इस प्रकार खातेदार हनुमान व बन्ना सगे भाई है जो छगन लाल के वारिस है। चूंकि विवादित आराजी वरवक्त बंदोबस्त से पूर्व भी पक्षकारान के पूर्वजों का कब्जा था परन्तु विवादित भूमि जब सिवायचक घोषित हो जाने के कब्जे के अनुसार पुनः आवंटन हुआ उक्त आवंटन के समय हनुमान व बन्ना दोनो भाईयों का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

ही कब्जा था और उनके हक हिस्से में ही उक्त भूमि आई थी चूंकि पक्षकारान के पितागण ज्यादा पढे लिखे नही थे ना ही कानूनी दाव पेचों में समझते थे। आवंटन किये जाते समय पक्षकारान के पिता ने दोनो भाईयों के भूमि लगाने बाबत कहा था परन्तु आराजी निवेश ने दोनो भाईयों के आग अल्दियत नही लगाकर हनुमान पुत्र बन्ना का अंकन कर दिया जो गलत हुआ वास्तव में हनुमान व बन्ना पिता पुत्र नही होकर सगे भाई ही थे। जिनके वल्दियत में आगे छगन लाल होनो चाहिये था। खातेदार हनुमान, बन्ना जो कि स्व0 श्री छगन लाल के जायन्दा पुत्र थे जो कि हनुमान स्व0 नानूराम के गोद गया व बन्ना जो कि किशन लाल के गोद गया है। खातेदार हनुमान का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है। व बन्ना का स्वर्गवास भी हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 कानूनन वारिस व उत्तराधिकारी है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा का इन्द्राज करना आवश्यक हुआ है। विवादित भूमि का इन्द्राज दुरूस्त करने व पक्षकारान के पक्ष में नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण खोलने बाबत पक्षकारान ने शिविर प्रभारी प्रशासन आपके द्वारा केंम्प गाडोता पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्यवाही अब तक नही की गई है। विवादित भूमि पर कदीम से हनुमान व बन्ना लाल का बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है और बहिस्सा बराबर बराबर बाहमी बटवारा कर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में बाजरा मूंग की फसल पक्षकारान की खडी है। खसरा गिरदावरी संवत 2015 ल. 2019 व 2029 से 32 तक बन्नाराम हनुमान का काश्तकार के रूप में अंकन हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में भी कब्जे काश्त में है। दिनांक 3.08.06 का वाका है कि प्रतिवादी संख्या 9 के अधिनस्त कर्मचारी आये और धमकी दी की इस भूमि से तुम्हे जबरिया बेदखल करेगे वादी व प्रतिवादीगण 1 ल. 8 ने अनुय–विनय व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना की तो धमकी दी कि हम दुरूस्ती नही करेगें। और हम तुम्हें बेदखल करेंगे। इसलिये वादी प्रतिवादीगण 1. 8 को यह वाद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। तदनुसार वाद घोषणात्मक खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 9 डिकी किया जाकर घोषणात्मक खातेदारी इस कदर फरमाई जावे कि वाद पत्र के मद न. 1 में दर्ज आराजी ख. न. 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा तह0

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) दूदू

मौजमाबाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 5 ल. 8 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादी का वाद डिक्री किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती इस कदर फरमाई जावे कि हनुमान, बन्ना पुत्रान छगनलाल कोम ब्राहम्ण नि0 मौखमपुरा सयुक्त रूप से नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादी संख्या 9 को पाबंद किया जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 9 के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे नही बेदखल करे न स्वयं करे न अधिनस्त से करावे। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 19/12/2007 को प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 की ओर से श्री रवि जैन एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 13/10/2009 को प्रतिवादी संख्या 5 ल. 8 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 22/11/2010 को वादी ने दस्तावेज सूची किता 1 पेश की तथा गवाह पी.डब्ल्यू 1 भंवरलाल, पी. डब्लयू 2 सुरेश के शपथ–पत्र पेश हुये, जिन पर बयान लिये गये।

दिनांक 26/09/2011 को प्रतिवादी संख्या 5, 7, 8 कीओर से श्री नारायणसहाय पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 04/01/2012 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0 दी0 का प्रतिवादीसंख्या 5 ल. 8 की ओर से पेश हुआ।

दिनांक 18/01/2021 को प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2 की ओर से अधिवक्ता श्री छोटुलाल गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2 व 5 ल. 8 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

माणित प्रति खाता संख्या 87 दिनांक 04/03/2006, प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 31 ग्राम सीतापुरा, खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 ल. 2019, सम्वत 2015 ल. 2017, सम्वत 2029, 2030, 2031, 2032 सम्वत 2011 ल. 2013 कुल किता 4 तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम सीतारामपुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 206 रकबा 1.33 हैक्टेयर बारानी–1 हनुमान पुत्र बन्ना कौम ब्राहाम्ण सा0 मौखमपुरा तन बिचून के खातेदारी दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर ना0स0 39 दिनांक 15/01/1971/06/05/1967 से हनुमान पुत्र बन्नाराम कौम ब्राहाम्ण पुजारी के आवंटन होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ हैं। ना0स0 के कॉलम नम्बर 16 में कैफियत में पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा हनुमान व बन्ना पुजारी के नामअलॉट है दर्ज किया हैं। जबकि नामा0 के निर्णय में तस्दीक कर्ता द्वारा "हनुमान वल्द बन्नाराम ब्राहाम्ण सा0 मौखमपुरा के नाम खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा अमल हुयी हैं। अतः पटवारी कागजात में खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा हनुमान ब्राहाम्ण के नाम इन्द्राज किया जावे का अंकन है, जबकि पटवारी अनुमान मौके पर पूछताछ करने व ग्राम पंचायत मौखमपुरा द्वारा जारी सजरा प्रमाण–पत्र के हनुमान व बन्नाराम दोनों रिश्ते मं खास भाई है, इनका पिता का नाम छगनलाल ब्राहाम्ण हैं। पूछताछ में बताया कि इनका तीसरा भाई नानूराम पुत्र छगनलाल ब्राहाम्ण उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व ही नाऔलाद पति–पत्नी फौत होना जाहिर किया हैं।"

इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि उक्त भूमि हनुमान पुत्र बन्नाराम कौम ब्राहाम्ण पुजारी के नाम से आवंटन हुयी थी, जबकि वादीगण अपने वाद–पत्र में इसे हनुमान व बन्नाराम पुत्रान छगनलाल के नाम से आवंटन होना बता रहा है एवं यह भी अंकित किया है कि हनुमान पुत्र बन्ना न होकर हनुमान व बन्ना सगे भाई थे। जिनके वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विधिक वारिशान बताकर 1/2–1/2 हिस्से की घोषणा करवाना चाहा है, लेकिन इस सम्बन्ध में वादीगण ने कोई ऐसा ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि हनुमान व बन्नाराम आपस मे पिता पुत्र न होकर सगे भाई हो। चूंकि आवंटन हनुमान पुत्र बन्नाराम के नाम से हुआ है, इसलिये कानूनन हनुमान व बन्नाराम को भाई नही माना जा सकता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद की जो तथ्यात्मक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

रिपोर्ट आयी है, उसमें भी आवंटन हनुमान पुत्र बन्नाराम के नाम से ही होना बताया गया हैं। इस प्रकार वादीगण अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में असमर्थ रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रांक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

भंवरलाल पुत्र श्री बन्नालाल जाति ब्राह्मण नि-मोखमपुरा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर राज० बनाम ① गोविन्दनारायण ② हरिनारायण ③ रामजानकी देवी व अन्य

दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती

मुकद्दमा न. 604/2013 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू अधि-श्री भैंरूलाल शर्मा

मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि-श्री छोटूलाल गुर्जर

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा, तह० मौजमाबाद जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता है।

मिज गुवलिग बाबत

अदा इस मुकद्दम के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

दसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 02 सन् 2021 को

जारी की गई।

मुहर [मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू]

दस्तखत [हस्ताक्षर]

हाकिम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए